आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :अयोध्या,तहसील :रूदौली
वाद संख्या :-01670/2021
कंप्यूटरीकृत **वाद संख्या :-T202104230701670**
आदर्श इण्टर कॉलेज दवारा प्रबन्धक **रामकैलाश मौर्य** बनाम उ०प्र० राज्य
अंतर्गत **धारा:- 80,** अधिनियम :- **उत्तर प्रदेश** राजस्व संहिता - 2006

ग्राम- ऐहार परगना व तहसील रूदौली जनपद अयोध्या।

आदेश

प्रस्तुत वाद , आदर्श सेवा शिक्षा समिति जहानपुर रूदौली द्वारा प्रबन्धक राम कैलाश मौर्य पुत्र स्व ० हरिभान मौर्य निवासी ऐहार परगना व तहसील रूदौली , जिला अयोध्या द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 80 उ ० प्र ० राजस्व संहिता पर योजित हुआ , जिसमें वादी ने कहा है कि गाटा संख्या 20/ 0.304 हे 0 में से 0.202 वादी के नाम सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा उक्त अपने उक्त अंश पर विद्यालय भवन निर्मित किया जा रहा है , जिससे उक्त रक्बा पूर्णतया अकृषिक हो गया है। वादी के उक्त अंश पर कृषि , बागवानी , मत्स्यपालन , कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः भूमि गाटा संख्या 20/ 0.304 हे 0 में से रक्बा 0.202 हे 0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण की जाँच तहसीलदार रूदौली से करायी गयी। तहसीलदार रूदौली ने अपनी आख्या प्रेषित करते हुए उल्लेख किया है कि भूमि गाटा संख्या 20/ 0.202 हे 0 स्थित ग्राम जहानपुर परगना व तहसील रूदौली , जनपद अयोध्या , जो अभिलेखों में आदर्श सेवा शिक्षा समिति ऐहार रूदौली द्वारा प्रबन्धक रामकैलाश मौर्य पुत्र स्व ० हरिभान मौर्य निवासी ग्राम ऐहार के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है , जिस पर वादी द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है , जिससे प्रश्नगत भूभाग पूर्णतया अकृषिक हो गया। वादी के उक्त भूभाग पर कृषि , बागवानी , मत्स्यपालन , कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार गाटा संख्या 20/ 0.202 हे 0 स्थित ग्राम जहानपुर परगना व रूदौली जनपद अयोध्या को उ ० प्र ० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (2) के तहत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन / परिशीलन किया गया , जिससे विदित हुआ कि भूमि गाटा संख्या 20/ 0.202 हे 0 स्थित ग्राम जहानपुर परगना व तहसील रूदौली , जनपद अयोध्या , जो अभिलेखों में आदर्श सेवा शिक्षा समिति ऐहार रूदौली द्वारा प्रबन्धक रामकैलाश मौर्य पुत्र स्व ० हरिभान मौर्य निवासी ग्राम ऐहार के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है , जिसमें से वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि 20/ 0.202 पर विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है , जिससे प्रश्नगत भूभाग पूर्णतया अकृषिक हो गया। इस प्रकार वादी द्वारा अपने अंश पर कृषि , कार्य के अतिरिक्त बागवानी , कुक्कुटपालन , मत्स्य पालन से पृथक कार्यों में प्रयुक्त किया जा रहा है। वादी द्वारा न्याय शुल्क 9500 / तथा वाणिज्यिक शुल्क 9338 / रू ० जमा कर दिया गया है। अतः भूखण्ड संख्या 20/ 0.202 हे 0 उ 0 प्र 0 राजस्व संहिता -2006 की धारा 80 (५) को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम जहानपुर तहसील रूदौली जनपद अयोध्या की खतौनी खाता संख्या 00085 की गाटा संख्या 20/ 0.202 हे 0 जो आदर्श सेवा शिक्षा समिति ऐहार रूदौली द्वारा प्रबन्धक रामकैलाश मौर्य पुत्र हरिभान मौर्य निवासी ग्राम के नाम सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर अंकित है , मे से 20/ 0.202 को उ 0 प्र 0 राजस्व संहिता की धारा 80 (1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में संशोधन / अमलदरामद हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही सुरक्षित अभिलेखागार हो।

(विपिन कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,रूदौली
जनपद अयोध्या।
03.03.2021

Principal
Adarsh Pharmacy College
Jahanpur, Rudauli, Distt.-Ayodhya

प्रबन्धक
आदर्श सेवा शिक्षा समिति
ऐहार, रुदौली, अयोध्या